



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 1 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 10, 1942 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,  
ASHOKA ROAD,  
NEW DELHI-110001

1<sup>st</sup> December, 2020  
Dated : \_\_\_\_\_  
10 Agrahayana, 1942 (Saka)

### NOTIFICATION

**No. 429/UP/2016:** -In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13B of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, hereby makes following amendments in its Notification no. 429/UP/2016, dated 30<sup>th</sup> August, 2016, relating to appointments of Electoral Registration Officers of Assembly Constituencies in the State of Uttar Pradesh, namely:-

In column 2 of the table appended to the said notification, the existing entry against item No. 339-Rampur Karkhana, "Additional Sub Divisional Officer, Salempur" shall be substituted with the entry "Sub Divisional Officer, (Judicial) Rudrapur".

By order,  
PUSHPA N. LAKRA,  
*Secretary.*

By order,  
AJAY KUMAR SHUKLA,  
*Secretary Election.*

**भारत निर्वाचन आयोग**

निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड,  
नई दिल्ली-110001  
दिनांक: 1 दिसम्बर, 2020  
10 अग्रहायण, 1942 (शक)

**अधिसूचना**

**संख्या 429/उ0प्र0/2016 :-** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धित, अपनी अधिसूचना संख्या 429/उ0प्र0/2016, दिनांक 30 अगस्त, 2016 में निम्नवत संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, मद संख्या 339-रामपुर कारखाना के सामने, विद्यमान प्रविष्टि "अपर उप जिलाधिकारी, सलेमपुर" के स्थान पर प्रविष्टि "उप जिलाधिकारी, (न्यायिक) रूद्रपुर" प्रतिस्थापित की जाएगी।

आदेश से,  
पुष्पा एन. लकड़ा,  
सचिव।

-----  
आज्ञा से,  
अजय कुमार शुक्ला,  
सचिव निर्वाचन।